कार्यालय वन वृत्त खण्डवा (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश

आदेश

क्रमांक/व्यय/2022/ 18 खण्डवा, दिनांक 17-01-2022

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनमण्डलाधिकारी बुरहानपुर द्वारा खण्डवा अकोला रेलमार्ग से प्रभावित वन भूमि रकबा 21.49 हेक्टेयर के बदले वन भूमि पर दुगुने बिगड़े क्षेत्र रकबा 43.00 हेक्टैयर की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत की है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति म.प्र. बुक ऑफ फाइनेंसियल पावर 1995 के वाल्यूम–।। के अनुक्रमांक–14 बी एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र 621/03/नियम/04 भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

अ.क.	स्थल	रकबा (हैक्टर में)	वर्षवार प्रस्तावित व्यय											
			I st year	II year	III year	IV year	V year	VI year	VII year	VIII year	IX year	X year	XI year	योग
1	वन परिक्षेत्र शाहपुर कक्ष क्र. 460	43.000	4846767	2706155	2301136	2226342	388870	195215	249484	196368	207656	221185	233378	**13772556**
आस्थामूलक कार्य की राशि 5 प्रतिशत														688628
मानव संशाधन विकास की राशि 1 प्रतिशत														137726
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य की राशि 4 प्रतिशत														550902
योग :–														**1377256**
पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत														1514981
महायोग राशि :–														**16664793**

1) समस्त कार्य मध्य प्रदेश वित्त नियम एवं म.प्र. वन वित्तिय नियमों के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अधिन किया जाना सुनिश्चित करें। नियमों एवं निर्देशों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमित्ता के लिये आप उत्तरदायी होगें।

2) समस्त कार्य वित्तीय वर्ष में स्वीकृत जॉब दर के अनुसार कराया जावें।

3) कार्य निर्धारित नार्मस एवं उपलब्ध बजट आंबटन (भौतिक/आर्थिक) के अन्तर्गत ही करायें।

4) यदि किसी कार्य हेतु जाब दरें स्वीकृत नही है तो ऐसे कार्यो को प्रारंभ करने के पूर्व जॉब दरो की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करें।

5) वित्तीय वर्ष में निर्धारित भौतिक/आर्थिक लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।

6) कार्य के दौरान प्रत्येक स्तर से राजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य का नियमित निरीक्षण किया जावें।

7) ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी नियमित बैठकों के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से सुनिश्चित की जावें।

8) योजना के अन्तर्गत कोई राशि लैप्स तथा कार्य अपूर्ण न रहे इसका ध्यान रखा जावें।

9) सामग्री कय व उपयोग म.प्र. भण्डार कय नियमों के अनुरूप किया जावें।

10) कार्य का कियान्वयन, मूल्यांकन व भुगतान व्यवस्था वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जावें।

11) शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावें।

12) उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों का संधारण (यथा माप पुस्तिका/देयक/रोपण पंजी आदि) नियमानुसार किया जावें।

13) समस्त कार्यो का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था भी कायम की जावें।

14) संबंधित कार्य हेतु विमुक्त राशि से ही कार्य सम्पादित कराया जावें।

15) प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कियान्वयन के दौरान कोई भी परिवर्तन का अधिकार मुख्य वनसंरक्षक खण्डवा वृत्त का है।

16) उपचारित किए जाने वाले क्षेत्र के भीतर अतिक्रमण रिक्त कराया जावें।

17) प्रस्तावित क्षेत्र में वन अधिकार धारक है तो वन अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 में वर्णित कर्तव्य से अवगत करावें।

18) योजना की समाप्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत जीवितता की बाध्यता होगी।

(महेन्द्रसिंह सिसौदिया)
मुख्य वन संरक्षक
खण्डवा वृत्त खण्डवा

पृ.क/व्यय/2022/ 508 खण्डवा, दिनांक 17.1.2022

प्रतिलिपि :– 1. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल सा. बुरहानपुर की ओर आपके पत्र क्रमांक/मा.चि./2022/197 दिनांक 13.01.2022 संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :– प्रोजेक्ट की एक प्रति।

मुख्य वन संरक्षक
खण्डवा वृत्त खण्डवा
17.1.2022